

50 रूपये के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर

दहेज के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप

मैं पुत्र/पुत्री श्री रोल
नम्बर पंजीयन क्रमांक रैंक नं०
कनिष्ठ सहायक के पद के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिप्रस्तावित हुआ/हुई हूँ,
सशपथ बयान करता हूँ/करती हूँ :-

कि मेरा विवाह दिनांक को हुआ है। विवाह के समय मेरे
घरवालों ने ना तो दहेज लिया है/ना ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के
सम्बन्ध में मेरी पत्नी/मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/
न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को
पूर्ण अधिकारी होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा /रहूंगी।

अथवा

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा, तब मैं या मेरे
घरवाले ना तो दहेज लेंगे/ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में
मेरी पत्नी/मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज
करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकारी
होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

अभ्यर्थी के पिता का नाम :

पत्र व्यवहार का पता :

जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री रोल
नम्बर पंजीयन क्रमांक रैंक नं० कनिष्ठ
सहायक के पद के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिप्रस्तावित हुआ/हुई हूँ, सशपथ बयान
करता हूँकरती हूँ :-

1. कि मेरे द्वारा शैक्षणिक योग्यता संबंधी दी गई जानकारी विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है।
कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्णरूप से सही हैं एवं मिथ्या/जाली/नकली/गलत तरीके से तैयार कराकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
2. कि मेरे विरुद्ध कभी भी किसी भी थानाक्षेत्र में कोई आपराधिक प्रकरण न तो दर्ज हुआ है और न ही मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आपराधिक जांच लम्बित है। मेरे विरुद्ध कोई फौजदारी/न्यायिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में न तो वायर हुआ है और न ही लम्बित है।
3. कि मैं तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करता हूँ और न ही राजकीय सेवा के दौरान करूंगा।
4. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रकार से जाली/नकली पाया जाता है और तथा/अथवा मेरे द्वारा उक्त घोषणा पूर्ण अथवा आंशिक असत्य पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि मेरी अभ्यर्थिता/पात्रता/चयन तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर उसी समय मुझे राजकीय सेवा से पृथक कर दिया जायेगा, जिसके लिये मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/पुलिस/न्यायिक/अनुशासनात्मक इत्यादि की कार्यवाही कर सकते हैं, जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अन्य परीक्षाओं में शामिल होने से मुझे वंचित (Debar) किया जा सकता है, उसके लिये भी मैं ही स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

अभ्यर्थी के पिता का नाम :

पत्र व्यवहार का पता :

कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक प.7(1)डी.ओ.पी./क-2/95
दि० 20.6.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री.....
निवासी एतद् द्वारा घोषणा
करता/करती हूँ कि दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या .
..... थी। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम	संबंध	जन्मतिथि
1			
2			
3			
4			
5			

दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि
हुई है/नहीं हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या
है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम	संबंध	जन्मतिथि
1			
2			
3			

जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम :